

एनडीपीएस अधिनियम में आरोपी को 8 माह की सजा

श्रावस्ती 29 मई (मि0टा0सं0)। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन, शासकीय अधिवक्ता तथा कोर्ट पैरोकार के अथक प्रयास एवं की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ACJM/FTC जनपद श्रावस्ती ने थाना सोनवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0

251/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम बनाम अरविन्द कुमार यादव पुत्र त्रिभुवन नि0 तुलसीपुर थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती को कब्जे से 750 ग्राम अवैध गांजा बरामद होने के अपराध में दोषी पाते हुए 8 माह 5 दिवस का साधारण कारावास व 1000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
